राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2011–12/328 दिनांकः 29.8.2011

सूचना

विषयः– उत्तर मैट्रिक छात्रवृति 2011–12 के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 23 (126) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2011–12/297–306 दिनांक 16.08.2011 के क्रम में।

वर्ष 2011–12 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन के सम्बन्ध में समस्त विद्यार्थियों/संस्था प्रधानों/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि:–

1. निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति स्कीमें, नियम, शर्ते तथा आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार डाउन लोड कर प्राप्त कर लेवे। विभाग द्वारा आवेदन फार्म वितरित/बेचे नहीं जा रहे हैं। पुराने आवेदन पत्र–मान्य नहीं हैं।
2. छात्रों द्वारा आवेदन फार्म कॉलेज में जमा कराने की अन्तिम तिथि **15.09.2011** तथा संस्था प्रधान/प्राचार्य द्वारा आवेदन फार्मों की जॉच उपान्त सी.डी. सहित (हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी में) निदेशालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि **25.09.2011** है। अपूर्ण तथा अन्तिम तिथि बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। बिना सी.डी. के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं कियें जावेगें।
3. अवेदक छात्र/छात्राओं द्वारा स्वंय का एस.बी.बी.जे. बैंक का बचत खाता संख्या, बैंक का पूर्ण पता, एम.आई.सी.आर. नम्बर आदि आवेदन फार्म के ऊपर कोने पर मोटे अक्षरों में अंकित करते हुए बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न की जावें तथा संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषण पत्र के चार्ट में छात्र के नाम के सम्मुख अंकित किया जावें। अन्य बैंको के खाता नम्बर विभाग की बैंक स्वीकार नहीं करती हैं।

नोट :– आवेदक तथा संस्था प्रधान नियमों एवं मूल विज्ञप्ति पत्र का आवश्यक रुप से अध्ययन करें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2011–12/329-333 दिनांकः 29/8/11

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, जंनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को 8 प्रतियों सहित भेजकर निवेदन है कि कृपया राजस्थान के समस्त समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञापन करावें।
3. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति को प्रेषित कर अनुरोध हैं कि आपके राजस्थान के सभी संस्करणों में निशुक्ल प्रकाशन करावें।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय/गैर राजकीय (मान्यता प्राप्त) महाविद्यालय/समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. वेबसाईट अनुभाग, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान,
जयपुर।